<u>न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 29/2020 जिला भीलवाड़ा

1. श्री देवा पिता हेमा चमार उम्र वयस्क निवासी चावडिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्री लादू पिता हेमा चमार उम्र वयस्क निवासी चावडिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. श्री शंकर पिता हेमा चमार उम्र वयस्क निवासी चावडिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांटस

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर भीलवाड़ा बप्रकरण संख्या 15/86 आवंटन निरस्तीकरण बउनवान राजस्थान राज्य बनाम हेमा चमार के कायम मुकाम वगै0 निर्णय दिनांक 11.08.1987

उपस्थित अभिभाषकः—श्री गोपाल अजमेरा(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—उपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांकः—06.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चावण्डिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के खसरा नम्बर 45 मे से 5 बीघा भूमि दिनांक 15.06.1970 को अपीलांटगण के पिता हेमा पिता मोटा को आवंटित कर कब्जा संभलवाया गया था। तब से उनके पिता हेमा एवं उसकी मृत्यु के बाद अपीलांटगण का कब्जा चला आ रहा है। नवीन खसरा नम्बर 800 बने है। जिसका रकबा 1.38 हे0 है। उक्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा चला आ रहा है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा धारा 14(4) के तहत एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर भीलवाड़ा को प्रस्तुत किया। अपीलांट संख्या 3 की तामील नहीं हुयी। अपीलांट संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता मिश्रीलाल को पैरवी हेतु नियुक्त किया गया। जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 11.08.57 को उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति की वजह एकतरफा आदेश पारित करने तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्तीकरण प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आवंटन दिनांक 15.06.1970 के आवंटन को निरस्त कर दिया। इसके विरूद्ध निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत की जा रही है—

1. अपीलांट संख्या 3 की कोई विधिवत तामील नहीं हुयी है।
2. तहसीलदार द्वारा सिर्फ एक वर्ष की गिरदावरी प्रस्तुत की गई थी जिस पर निर्णय किया गया।
3. अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उन्हे राजस्व रिकोर्ड दिनांक 03.11.2015 को देखने को हुई तथा दिनांक 04.11.2015 को नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 06.11.2015 को नकल प्राप्त की। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाये। पूर्व में उक्त पत्रावली आरएए न्यायालय भीलवाड़ा के यहा दिनांक 07.12.2015

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

को दर्ज रजिस्टर की गयी थी। राजस्व ग्रुप–6 की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में अपील न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि यह आवंटन 1970 का है तथा 1986 में आवंटन निरस्त किया गया है। आवंटी के तीन पुत्र है। शंकर को तामील नहीं हुई है। संबंधित वकील की मृत्यु हो चुकी थी। अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गई है। आवंटन नियमों की पालना नही करने बाबत तहसीलदार द्वारा कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया। धारा 91 का नोटिस हमे प्राप्त हो रहा है। हम नियमित काश्त कर रहे है। राजकीय अभिभाषक ने अपील को बहुत देरी से प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांटगण के अनुसार उनके तत्समय अधिवक्ता मिश्रीलाल जी मेहता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया और न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, इस वजह से एकपक्षीय निर्णय जिला कलक्टर द्वारा दिया गया। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी राजस्व रिकोर्ड देखने से उन्हे दिनांक 03.11.2015 को प्राप्त हुई। दिनांक 04.11.2015 को नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 06.11.2015 को नकल प्राप्त की। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाये। प्रकरण संख्या 15/86 निर्णय दिनांक 11.08.87 द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा की न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 28.01.1986 से दिनांक 11.08.1987 से अवलोकन किया गया। जिला कलक्टर के न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 11.08.1987 के अनुसार विपक्षीगण और उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। विपक्षीगण के विरूद्ध आदेश दिया जाना पाया जाता है। अपीलांट की यह बात सही है कि उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। निर्णय की जानकारी होने के बाद उनके द्वारा दिनांक 07.12.2015 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

अपीलांटगण ने अपील में मुख्य तौर पर अपीलांट नम्बर 3 को विधिवत तामील होना नहीं बताया है। अपील के अनुसार अपीलांट संख्या 3 शंकर पिता हेमा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन प्रकरण में दिनांक 28.01.86 को अपीलांटगण को कारण बताओ नोटिस जिला कलक्टर द्वारा जारी किया जाना पाया जाता है। उक्त नोटिस में दिनांक 12.02.1986 को उपस्थित होने हेतु बताया गया है। उक्त नोटिस के पुश्त भाग पर अपीलांट संख्या 3 शंकर के नाम के आगे अंगूठा निशानी लगी हुई है। जिस पर निशानी शंकर अंकित किया हुआ है। देवीलाल तामील कुनिन्दा है और उसके द्वारा बाद तामील अंकित किया हुआ है। उक्त तामील दिनांक 10.02.1986 को किया जाना पाया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा भी अपने रिकोर्ड दिनांक 10.02.1986 में अपीलांट संख्या 3 शंकर को तामील होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह आक्षेप है कि अपीलांट संख्या 3 शंकर को विधिवत तामील हुये बिना निर्णय किया गया है जो गलत है।

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.1987 का अवलोकन किया गया। आवंटी हेमा को दिनांक 15.06.70 को रकबा 5 बीघा भूमि खसरा नम्बर 45 ग्राम चावण्डिया में आवंटित की गई। अपीलाधीन निर्णय में जिला कलक्टर भीलवाड़ा में यह माना कि भूमि आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित आराजी के आधे रकबे पर व दूसरे वर्ष में शेष सम्पूर्ण रकबे पर काश्त करना अनिवार्य होता है। विपक्षी ने भूमि पर काश्त नहीं की। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम धारा 14(3) शर्तों की उल्लघंना की है। जिससे उनको किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। शर्तों का उल्लघंन किये जाने पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन निरस्त किया जाना पाया गया है। जमाबंदी ग्राम चावण्डिया संवत 2037–40 का अवलोकन किया गया। इस समय भूमि देवा बालिग लादू,शंकर नाबालिग संरक्षक मु0 मगनी बेवा हेमा साकिनदेह अंकित किया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अंकन दिनांक 15.05.1972 द्वारा तहसीलदार की स्वीकृति से दिनांक 18.12.1972 से प्रभावी किया गया।

खसरा गिरदावरी संवत 2030,2031,2032,2033 का अवलोकन किया गया। उक्त अवधि में कोई काश्त करना नहीं पाया गया है। खसरा गिरदावरी के कॉलम नम्बर 16 में बोये गये क्षेत्रफल का ब्यौरा होता है। आवंटी द्वारा कोई भी काश्त करना नहीं पाया जाता है। सम्पूर्ण क्षेत्रफल बंजर बताया गया है। अतः अपीलांटगण अपील में उठाये गये आधार को सिद्ध नहीं कर पाये है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांटगण खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा अन्तर्ग प्रकरण संख्या 15/86 नियम 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 निर्णय दिनांक 11.08.1987 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:18:38 IST
Reason: SelfAttested